केन्द्रीय मुहर विभाग-2

हमारा संदर्भ : के.मु.वि.-2/16: 573 25 05 2018

विषय: आई एस 573:1992 के (ट्राइसोडियम फासफेट) संशोधन संख्या 2 फरवरी 2018 का अनुपालन

- 1. आई एस 573:1992 के संशोधन संख्या 2 को प्रकाशित किया गया है एवं इसकी अनुपालन तिथि 12 अप्रैल 2018 है ।
- 2. इस संशोधन के कार्यान्यवन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । इस संशोधन को अन्पालन तिथि से लागू करने का निर्णय लिया गया है ।
- 3. सभी शाखा कार्यालय, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्यवन के बारे सूचित करें।

(अदाने ख्रासी) वैज्ञानिक सी (सी एम डी-2)

प्रमुख (के.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशाला/सीएचडी कार्यालयों को परिचालित आई टी एस विभाग - बीआईएस इंट्रानेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 573 25 05 2018

Subject: Implementation of Amendment No. 02 February 2018 to IS 573:1992 (Trisodium Phosphate)

- 1. Amendment No. 02 to IS 573:1992 has been published with date of establishment as 12 April 2018.
- 2. For implementation of this amendment no change is required in the existing STI. It has been decided to implement the amendment with effect from the date of establishment.
- 3. All BOs may inform all the Licensees/Applicants under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Adane Khrasi) Scientist-C

Head (CMD-2)

Circulated to all ROs/BOs/Labs/CHD

Copy to: ITS for hosting on BIS Intranet

AMENDMENT NO. 2 FEBRUARY 2018 TO IS 573: 1992 TRISODIUM PHOSPHATE

(Fourth Revision)

[Page 2, Table 1, Sl No. ii), col (2)] — Substitute 'P₂O₅' for 'P₂O₃'.

[Page 2, Table 1, Footnote 1)] — Substitute 'dry basis' for 'dry ???'.

(Page 4, clause A-3.3, line 1) — Substitute 'P₂O₅' for 'P₂O₃'.

(CHD 01)